



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक :- 2606 /अधि० निदे०(मा०सं०)/उपाकालि०/अनुभाग-III

दिनांक : 04/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित वाद संख्या 579/2017(उपाकालि बनाम बी०एम० भट्ट एवं अन्य) एवं उक्त याचिका के साथ सम्बद्ध अन्य 06 वाद यथा वाद संख्या 550/2017(कन्हैया जी मिश्रा), 543/2017(राहुल चानना व अन्य), 550/2017(कन्हैया जी मिश्रा व अन्य), 552/2017(उमाकांत चतुर्वेदी व अन्य), 554/2017(गुलशन बुलानी व अन्य) व 563/2017(आशुतोष तिवारी व अन्य) में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 27.06.2024 एवं दिनांक 14.02.2025 को पारित निर्णय/आदेश, सम्प्रति प्रवृत्त उ०प्र०रा०वि०परि० अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970(यथा संशोधित) तथा उ०प्र०रा०वि०परि० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 में दिये गये प्राविधानों एवं उपरोक्त निर्णयों/आदेश एवं नियमों का परीक्षण एवं व्यख्या करने हेतु शासनादेश सं० 17/I(2)/2025-05-52/2016 दिनांक 12-03-2025 द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निर्णयों की अनुपालना हेतु शासनस्तीय गठित समिति की आख्या दिनांक 15.5.2025 में ज्येष्ठता सूची के निर्धारण हेतु की गयी अनुशंसा एवं दिये गये मन्तव्यानुसार मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के उपरोक्त सन्दर्भित निर्णयों/आदेश के अनुपालन में यह अवधारित किया जाता है कि चयन वर्ष 2006-07 में उपाकालि० में पदोन्नत/सीधी भर्ती से कोई नियुक्ति न होने के कारण सहायक अभियन्ता(वि०एवं० या०) की ज्येष्ठता सूची (Final Seniority) को शून्य माना जाए।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- /अधि० निदे०(मा०सं०)/उपाकालि०/अनुभाग-III तददिनांकित

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उपाकालि०।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि०।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि०।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्र०) को विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
8. कट फाईल/सम्बन्धित कार्मिक अनुभाग, उपाकालि०।

[डा० आर०जे० मलिक]
अधीशासी निदेशक(मा०सं०)